उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की ग्यारवीं (11th) बोर्ड बैठक दिनाँक– 07 जून, 2017 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ग्यारवीं (11th) बोर्ड बैठक डा० राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2017 को देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री के.विद्यासागर	मुख्य वन संरक्षक, (कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून)
2.	डॉ0 विद्यासागर कापडी	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
3.	सुश्री लतिका सिंह	सहायक निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
4.	श्री योगेन्द्र रावत	संयुक्त निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
5.	डॉ0 जगदीश चन्द्र केम	निदेशक, जडी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर, चमोली
6.	डॉ0 जी.एस.रावत	डीन, निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून
7.	डॉ0 प्रशान्त के. पुसलकर	वैज्ञानिक डी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ रोड, देहरादून
8.	डॉ0 पी.के.पाण्डे	हैड वनस्पति विभाग, एफ०आर०आई०, देहरादून
9.	डॉ0 सुरेश राम	उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया रानीखेत
10.	डॉ बी.पी.मधवाल	उपनिदेशक (प्रशा0), मत्स्य पालन विभाग, बडासी ग्रान्ट, धन्याडी, रायपुर, देहरादून
11.	डॉ0 अर्चना बहुगुणा	विभागाध्यक्ष/वैज्ञानिक–डी, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कौलागढ रोड, देहरादून
12.	डॉ0 हर्षवर्धन	विभागाध्यक्ष, एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ रोड, देहरादून
13.	श्री कुमार मंगल बालाबन्तरे	एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ रोड, देहरादून
14.	श्री संजीव श्रीवास्तव	प्रबन्धक (गुणवत्ता), उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, किसान भवन, रिंग रोड, देहरादून
15.	श्री धनंजय प्रसाद	उपनिदेशक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून
16.	श्री एल.एम.कौल	अनुसंधान अधिकारी, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून
17.	श्री एस.एस.रसाईली	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून

इस कार्यालय का पत्रांक 1605/जै.वि.बो.– 16–3 दिनांक 17.05.2017 द्वारा बोर्ड बैठक का एजेंण्डा बोर्ड के सभी सदस्यों/आमंत्रियों को प्रेषित कर दिया गया था। बोर्ड में एजेंण्डा के अनुसार विभिन्न विषयों पर हुए विचार–विमर्श व लिये गये निर्णयो का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेंण्डा नं0 1 – बोर्ड के सदस्यों व विशेष आमंत्री का स्वागत :–

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बैठक में सभी सदस्यों व विशेष आमंत्रियों का स्वागत करते हुए बोर्ड की मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया गया।

एजेंण्डा नं0 2 – उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की दसवीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराना :–

बोर्ड द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् सदस्य–सचिव द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की गतिविधियों से निम्न प्रकार अवगत कराया गया :–

i. अब तक कुल 896 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) का गठन किया जा चुका है।

ii. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा 01 अप्रैल, 2016 को *'Maharashtra State Biodiversity Strategy and Action Plan'* से सम्बन्धित बैठक में प्रतिभाग किया गया।

iii. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सचिवालय में *ABS* के सम्बन्ध में दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को हुई बैठक में प्रतिभाग किया गया।

iv. अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, 2016 के अवसर पर यशवन्त राव ऑडिटोरियम, मुम्बई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा UNDP के सहयोग से NBA, चेन्नई द्वारा जैव विविधता पुरस्कार 2016 वितरित किये गये। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार थे। इस कार्यक्रम में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये। उल्लेखनीय है कि उक्त पुरस्कार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (UNDP) की ओर से संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। उक्त पुरस्कार 04 श्रेणियों में प्रदान किये जाते है श्रेणी–1 ***संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण,*** श्रेणी–2 ***जैविक संसाधनों का सतत्/ पोषणीय उपयोग,*** श्रेणी–3 ***पहुंच तथा लाभ के सहभाजन हेतु सफल प्रणाली/ मॉडल,*** श्रेणी–4 ***जैव विविधता प्रबन्ध समितियां***। दिनांक 22 मई, 2016 को मुम्बई, महाराष्ट्र में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता समारोह के दौरान आयोजित भारत **जैव विविधता पुरस्कार–2016** हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति, दुधई ग्राम पंचायत दुधई, सहसपुर ब्लॉक, देहरादून को श्रेणी–4 (***जैव विविधता प्रबन्ध समितियां***) के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार ₹1,00,000/– मात्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वारना नदी में अवैध खनन को पूर्णतः नियंत्रित करने, जैव संसाधनों तक पहुंच तथा लाभ

के सहभाजन को क्रियान्वित करने तथा अधिनियम की धारा 41(3) के अन्तर्गत फीस अधिरोपित करने हेतु दिया गया।

v. अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस–2016 के अवसर पर जनपद पिथौरागढ, अल्मोडा, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून में जैव विविधता प्रबन्ध समितियों तथा प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

vi. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा The Indian Society of International Law, New Delhi द्वारा आयोजित *"Intellectual Property Rights and WTO Accountability-Scope of Patenting"* दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 14–15 जुलाई, 2016 में प्रतिभाग किया गया।

vii. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा Invitation to the Meeting in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 25 July 2016 during the visit of the Global BIOFIN Mission में प्रतिभाग किया गया।

viii. Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative (KSLCDI) परियोजना के अन्तर्गत ICIMOD काठमांडू, नेपाल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय वार्षिक समीक्षा एवं नियोजन की दिनांक 16 से 19 अगस्त, 2016 तक काठमांण्डू नेपाल में आयोजित कार्यशाला (Regional Annual Review & Planning Workshop 2016) में, अनुसंधान अधिकारी, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

ix. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को देहरादून में नवगठित 100 जैव विविधता प्रबन्ध समिति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति के नोडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी, अध्यक्ष, सचिवों व तकनीकी सहायता समूहों के सदस्यों – लगभग 200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

x. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा *"National Meet of State Biodiversity Boards periodically to discuss issues related to implementation of Biological Diversity Act strengthening of SBBs"* विषय पर दिनांक 30 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2016 को आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

xi. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा *Availability and Suitabillity of Dates for NTP "Audit of Environmental Regulatory Authorities and Bodies in the States"* विषय पर ICED, Jaipur में दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को व्याख्यान दिया गया।

xii. UNDP द्वारा 31 देशों में *"Global Programme on Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)"* प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य

उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग करके Aichi Biodiversity Target व National Biodiversity Targets के लक्ष्य प्राप्त करना है। UNDP के *BIOFIN* प्रोग्राम अन्तर्गत भारत में 02 राज्य – उत्तराखण्ड एवं महाराष्ट्र को चयनित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 05–07 अक्टूबर, 2016 को जांबिया, अफ्रीका में 2nd BIOFIN Regional कार्यशाला आयोजित की गयी थी जिसमें सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

xiii. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 को आयोजित International Agrobiodiversity Congress 2016 (IAC 2016), New Delhi, India के *Brainstorming Session on "Access and Benefit Sharing – "Striking the Right Balance"* में प्रतिभाग किया गया।

xiv. अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून द्वारा Indo German Biodiversity Programme Access and Benefit Sharing (ABS) Partnership Project (GIZ) GmbH द्वारा आयोजित *"Indo-German Access and Benefit Sharing (ABS)"* नामक विषय पर दिनांक 16–18 नवम्बर, 2016 को चेन्नई में प्रतिभाग किया गया।

xv. सदस्य–सचिव एवं प्रबन्धक, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा 28–29 नवम्बर, 2016 में ABS से सम्बन्धित जानकारी लेने हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अधिकारीगण व बी०एम०सी० के साथ विचार–विमर्श किया गया।

xvi. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को मेघालय में मेघालय जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित *"Conservation of Biodiversity through implementation of the Biological Diversity Act"* नामक कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

xvii. वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 12/X-3-17-08(83)/2001 दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है।

xviii. अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून द्वारा अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, 2017 (06–13 जनवरी, 2017) तेलंगाना, हैदराबाद में प्रतिभाग किया गया।

xix. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा Deputy Chief Executive Officer, National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi द्वारा आयोजित ''International Symposium on Drafting a National Policy on Medicinal and Aromatic Plants of India'' से संबंधित बैठक 19–20 जनवरी, 2017 में प्रतिभाग किया गया।

xx. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा Programme Director GIZ, New Delhi Workshop on Integrated River Basin management 07-08 Feb. 2017, Park 15, Parliament Street, New Delhi में प्रतिभाग किया गया।

xxi. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा G.B. Pant Institute of Himalayan Environment & Development के द्वारा आमंत्रित ''Invitation to attend the Fifth Programme Steering Committee Meeting, for *"Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative (KSLCDI) on 17th February, 2017 at New Delhi"* में प्रतिभाग किया गया।

xxii. बोर्ड की आठवीं बैठक (10 जून, 2014) में लिये गये अनुमोदन के क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 61/X-2-2017-12(08)/2015 दिनांक 05 जनवरी, 2017 द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड हेतु Maruti Ciaz वाहन DGS&D दर पर क्रय करने हेतु प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में 01 राजकीय वाहन Maruti Ciaz Vdi+ Euro-IV Compliant (as per Government E-Market Place (GeM) Portal of DGS&D Prices Valid till 31 March, 2017) ***₹ 7,68,930.00 (सात लाख अड़सठ हजार नौ सौ तीस)*** मात्र में ***मारूति सुजूकी के देहरादून अधिकृत विक्रेता रोहन मोटर्स, देहरादून से क्रय की गयी है।***

xxiii. पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण एवं विकास परियोजना (KSLCDI) (2015) के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में 06 ग्राम पंचायतों (बांसमैतोली, चिटगल, जयकोट, मझेडा, धारपांगू व मल्लीसीम) में लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख तैयार करने हेतु चयनित किये गये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹2.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। उक्त सभी 06 ग्राम पचांयतों के लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख के प्रथम ड्राफ्ट प्राप्त हो चुके हैं।

xxiv. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई द्वारा स्वीकृत की गई 56 ग्राम पंचायतों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को लोक जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) एवं जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख निरूपित किये जाने हेतु वर्ष 2015–16 में 16 एवं 2016–17 में 05 ग्राम पंचायतों को @ ₹1,50,000/– प्रति ग्राम पंचायत की दर से धनराशि अन्तरित की जा चुकी है जिसमें से 09 के प्रथम ड्राफ्ट प्राप्त हो चुके हैं तथा 23 ग्राम पंचायतों में लोक जैव विविधता पंजिका व जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई द्वारा स्वीकृत की गई 33 ग्राम पंचायतों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को लोक जैव विविधता पंजिका (पी.बी. आर.) एवं जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख निरूपित किये जाने हेतु वर्ष 2016–17 (वर्तमान तक) में 16 ग्राम पंचायतों में लोक जैव विविधता

पंजिका व जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख बनाने की कार्यवाही भी प्रगति पर है। इस प्रकार कुल 89 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों में से 60 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों में लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

xxv. राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत 07 एम०पी०सी०ए० क्षेत्रों में लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख तैयार किये गये हैं। उक्त 07 एम०पी०सी०ए० क्षेत्र के अन्तर्गत गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को Startup फण्ड के रूप में राज्य मद से @ ₹10,000/– प्रति जैव विविधता प्रबन्ध समिति के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित की गयी है।

xxvi. 100 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के ग्राम पंचायत स्तर पर गठन के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत धनराशि में से 91 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को Startup फण्ड के रूप में @ ₹10,000/– प्रति जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा अध्यक्ष एवं सचिव को बी०एम०सी० लेखा खाता के रखरखाव के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी दी गयी है। बी०एम०सी० द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग करने बाबत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त द्वितीय किस्त अथवा शेष धनराशि हस्तान्तरित (Transfer) की जायेगी।

xxvii. दिनांक 28 फरवरी, 2017 को मन्थन सभागार, राजपुर रोड़, देहरादून में वनाधिकारियों के सम्मेलन में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित बुनियादी जानकारी दी गयी।

xxviii. दिनांक 21 मार्च, 2017 को होटल पैसिफिक, देहरादून में Stakeholders Meeting on State Biodiversity Strategy and Action Plan, BIOFIN & ABS से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

xxix. दिनांक 22 मार्च, 2017 को होटल द पर्ल ग्रैन्ड, निरंजनपुर, देहरादून में तकनीकी सहायता समूह की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें तकनीकी सहायता समूह के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के सलाहकार द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

xxx. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (ICED), Jaipur द्वारा आयोजित *"National Training Programme on Audit of Biodiversity, Wildlife and*

Forestry issues" से संबंधित कार्यक्रम में 18 अप्रैल, 2017 को जयपुर में प्रतिभाग किया गया।

xxxi. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा आमंत्रित *Stakeholder Consultation and Validation Workshop on Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) Project on 19th April, 2017* को नई दिल्ली में प्रतिभाग किया गया।

xxxii. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा National Biodiversity Authority, Chennai द्वारा आयोजित "Second National Dialogue on Traditional Knowledge and Access and Benefit Sharing" से संबंधित कार्यक्रम 02–03 मई, 2017 को शिमला में प्रतिभाग किया गया।

xxxiii. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा UNDP द्वारा आयोजित *State Biodiversity Action Plan (SBAP)and Resource mobilisation strategy for the State of Uttarakhand, under the GoI-UNDP project on Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN). Further to the stakeholder consultation meeting held on 4 May 2017, New Delhi* में प्रतिभाग किया गया।

xxxiv. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा National Biodiversity Authority, Chennai द्वारा आयोजित *'Second National Dialogue on Traditional Knowledge and Access and Benefit Sharing' on 02nd – 03rd May, 2017* कार्यक्रम में Shimla, Himachel Pradesh में प्रतिभाग किया गया।

xxxv. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा Programme Director, SIFOR India, Lok Chetna Manch, Ranikhet द्वारा आयोजित *'Mountain Agriculture Policy Dialogue' on 06th – 07th May, 2017* को Kalimpong, Sikkim में प्रतिभाग किया गया।

xxxvi. वर्ष 2017 में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी थीम *"जैव विविधता एवं सतत् पर्यटन'* (Biodiversity and Sustainable Tourism) थी। मुख्य कार्यक्रम आई०सी०एफ०आर०ई० ऑडीटोरियम हॉल, देहरादून में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ0 हरक सिंह रावत, माननीय वनमंत्री उत्तराखण्ड थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मभूषण श्री चण्डीप्रसाद भट्ट, पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। कार्यक्रम के अवसर पर वर्ष 2017 की थीम पर आधारित चित्रकला, कोलाज, पोस्टर, सचित्र अभिलेख एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को ए०बी०एस० के क्रियान्वयन में जागरूकता एवं क्षमता विकास में सहयोग प्रदान कर रहे GIZ द्वारा ए०बी०एस० और पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित स्टॉल लगाये गये।

एजेंण्डा नं0 3 – ओ०एन०जी०सी०, तेलभवन, देहरादून द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कार्यालय के प्रयोगार्थ क्रय किये गये नये राजकीय वाहन बोलेरो–ZLX का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :–

ओ०एन०जी०सी०, तेलभवन, देहरादून द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड हेतु एक वाहन (बोलेरो ZLX 2500cc) *'Mobilization, Sensitization and creating awareness about biodiversity conservation'* क्रय करने हेतु ₹8,32,029/– मात्र की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त वाहन क्रय करने हेतु **देहरादून प्रीमियर मोटर्स, प्रा०लि०, हरिद्वार बाईपास रोड, अजबपुर कलां, देहरादून** द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को दिये गये कोटेशन के अनुसार बोलेरो ZLX 2500cc क्रय करने की कीमत ₹8,32,029.00 मात्र का दिया गया था तथा वाहन क्रय करने के बीच मार्च 2017 (लगभग 04 माह व्यतीत होने के कारण) में वाहन के मूल्य में ₹27,971.00 (₹8,60,000–₹8,32,029) मात्र की वृद्धि हो गई। इस प्रकार देहरादून प्रीमियर मोटर्स, प्रा०लि०, हरिद्वार बाईपास रोड, अजबपुर कलां, देहरादून को बोलेरो ZLX 2500cc वाहन क्रय करने हेतु ₹8,60,000.00 मात्र की धनराशि दी गयी। अतिरिक्त धनराशि **₹27,971.00** (₹8,60,000–₹8,32,029.00) मात्र बोर्ड फण्ड से दी गयी है। बोर्ड द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 4 – बोर्ड कार्यालय के प्रस्तावित ढांचे में अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य कार्मिकों के पद अथवा संख्या निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

क्र०सं०	पद	पद संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष	01	अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य तथा वेतन उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली के प्रस्तर 3 व 5 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
2.	सदस्य सचिव	01	सदस्य–सचिव के पद पर नियुक्ति राज्य तथा वेतन उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली के प्रस्तर 8 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
3.	उपनिदेशक (वाईल्ड, फ्लोरल एण्ड फोनल डार्यवसिटी तथा एग्रो एवं डोमेस्टीकेटिड डार्यवसिटी)	02	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी जो राज्य वन सेवा के उप निदेशक स्तर के समतुल्य अधिकारी हों।
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	
5.	प्रधान सहायक	01	
6.	वरिष्ठ सहायक	01	
7.	वैयक्तिक अधिकारी	01	
8.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	
9.	लेखाकार	01	
10.	अनुसंधान अधिकारी	06	

	(फोरेस्ट्री / माईक्रोबाईलॉजी, बोटनी, जुलॉजी, एग्रो सोसोलॉजी / एन्थ्रोपॉलोजी एव बॉयोटैक्नॉलॉजी)		
11.	टैक्निकल एसोसिएट (विधि)	01	
12.	टैक्निकल एसोसिएट (Benefit Sharing)	01	
13.	टैक्निकल एसोसिएट (डाटा बेस मैनेजमैन्ट)	01	
14.	टैक्निकल एसोसिएट (DTP Operator/Graphic/Designer)	01	
15.	एक्स्टेंशन अधिकारी (गढ़वाल व कुमाऊं)	02	
16.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	05	
17.	अन्य जैसे – वाहन चालक कार्यालय सेवक इत्यादि		
	योग	**27**	

बोर्ड कार्यालय के ढांचा अन्तर्गत अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य कार्मिकों की उक्त प्रस्तावित मानक, संख्या व योग्यता से बोर्ड सहमत होने पर तद्नुसार विस्तृत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निम्न सुझाव दिये गये :–

1. उपनिदेशक के पद हेतु Agriculture and Allied Sector को भी सम्मिलित किया जाए।
2. उपनिदेशक के पद की संख्या भविष्य को ध्यान में रखते हुए बढाये जाने पर विचार किया जाए।
3. Technical Associate/Research Associates इत्यादि के स्थान में किसी सक्षम एवं उत्कृष्ठ आवेदक को आकर्षित करने के लिये ऐसे पदों को स्थाई करना तथा उनके Career Growth options का भी ध्यान रखा जाये।
4. Technical Associate (Legal) के स्थान पर Legal Advisor को रखने का सुझाव दिया गया।

एजेंण्डा नं0 5 – अनुसंधान अधिकारी (आउटसोर्स) एवं DTP Operator/Graphic/Designer (संविदा) की सेवाओं के पारिश्रमिक भुगतान का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :–

ii. अनुसंधान अधिकारी की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से (₹30,000.00+सेवा शुल्क व सेवाकर अतिरिक्त प्रतिमाह) माह फरवरी, 2016 से प्राप्त की गयी है।

iii. DTP Operator/Graphic/ Designer (for different publications) की सेवायें संविदा के माध्यम से (₹30,000.00 प्रतिमाह) सितम्बर, 2016 से एक वर्ष के लिये ली गयी है। कार्य मूल्यांकन के उपरान्त अवधि विस्तार किया जायेगा।

उक्त प्रस्तर i व ii का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 6 – अनुसंधान अधिकारी (संविदा), एक्सटेंशन अधिकारी की सेवा (आउटसोर्स) के माध्यम से रखने एवं टैक्निकल एसोसिएट डाटाबेस मैनेजमैन्ट की सेवायें कार्य विस्तार करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–

i. लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख का परीक्षण एवं उन्हें प्रकाशन योग्य बनाने के लिये अनुसंधान अधिकारी की संविदा पर छः माह (जून, 2017 तक) के लिये सेवा (₹30,000.00 प्रतिमाह) प्राप्त की गयी है। कार्य मूल्यांकन के उपरान्त अवधि विस्तार किया जायेगा।

ii. बोर्ड के विभिन्न क्रिया कलापों यथा (जैव विविधता प्रबन्ध समिति) का गठन करने तथा बी०एम०सी० के संचालन को सुनिश्चित कराना, बी०एम०सी० गठन तथा उनके प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित को प्रशिक्षित करना एक्स्टेंशन अधिकारी की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से सेवा (₹25,000.00+सेवा शुल्क व सेवाकर अतिरिक्त प्रतिमाह) माह सितम्बर, 2016 से ली गयी थी जोकि माह अप्रैल, 2017 में उक्त सेवा समाप्त कर दी गयी है।

iii. उक्त के अतिरिक्त Technical Associate, Database Management की सेवा एक वर्ष दिसम्बर, 2016 तक इस कार्यालय में संविदा पर रखी गयी थी जिसका पुनः एक वर्ष दिसम्बर, 2017 तक अवधि विस्तार किया गया है।

उक्त प्रस्तर i से iii तक का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 7 – लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख निरूपित करने हेतु नई तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का चयनित करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–

ग्राम पंचायत स्तर पर लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख तैयार करने हेतु अतिरिक्त तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) का चयन किया गया है, जो कि निम्न प्रकार हैः–

(i) Shri Kedar Jan Vikas Samiti (SKJVS), Dunda, Uttarkashi
(ii) Jai Maa Durga Gramin & Samajik Sanstha Pursari, Chamoli
(iii) Himalayan Educational & Resource Development Society (HERDS), Chamba Tehri Garhwal
(iv) Himalayan Institute for Environment Ecology & DEvelopment (HIFEED), Dehradun
(v) Navdaniya, 105, Rajpur Road Dehradun
(vi) Centre for Business and Entrepreneurial Development (CBED), 1264 Indira Nagar colony, ITBP Road, Indra Nagar Colony, Dehradun

(vii) Ecological and Biodiversity Services (EBS), Indraprasth Lane No. 1, Ring Road, Dehradun

सदस्य–सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं विकास, हल्द्वानी द्वारा लोक जैव विविधता पंजिका/जैव विविधता समुदाय संलेख बनाये जाने हेतु विभागीय तकनीकी सहायता समूह गठित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

उक्त गठित तकनीकी सहायता समूहों का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 8 – बोर्ड द्वारा विभिन्न अध्ययनों पर नीति निर्धारण करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

निति निर्धारण हेतु बोर्ड कार्यालय सक्षम है। निति निर्धारण के उपरान्त उक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेंण्डा नं0 9 – Updating of the existing State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP) of Uttarakhand and aligning it with Natioinal Biodiversity Action Plan (NBAP), National Biodiversity Targets, Sustainable Development Goals and Costing of Implementation of the Update SBSAP/Biodiversity Finance Plan हेतु चयनित संस्था "TERI" का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

Updating of the existing State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP) of Uttarakhand and aligning it with Natioinal Biodiversity Action Plan (NBAP), National Biodiversity Targets, Sustainable Development Goals and Costing of Implementation of the Update SBSAP/Biodiversity Finance Plan हेतु गठित समिति द्वारा The Energy and Resources Institute (TERI) Darbari Seth Block, IHC Lodhi Road, New Delhi नामक संस्था को चयनित किया गया है जिसके लिये ₹18,50,000/– मात्र की धनराशि स्वीकृत की गयी है। अनुबन्ध पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की धनराशि 20 प्रतिशत (₹3,70,000/– मात्र) दी जा चुकी है जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 10 – कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल (KSLCDI) के तहत पिथौरागढ वन प्रभाग के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबन्ध समिति के नियंत्रणाधीन क्षेत्र Economically Important Flora/Fauna पर एक Knowledge Prodcut Compendium तैयार किये जाने हेतु विशेषज्ञ को रखने के लिये बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

कैलाश पवित्र भू–दृश्य संरक्षण एवं विकास पहल (KSLCDI) के तहत पिथौरागढ वन प्रभाग के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबन्ध समिति के नियंत्रणाधीन क्षेत्र Economically Important Flora/Fauna पर एक Knowledge Prodcut Compendium तैयार किये जाने हेतु विशेषज्ञ डा० आर०के० शुक्ला, आई०एफ०एस० सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के साथ अध्ययन करने हेतु अनुबन्ध किया गया। अध्ययन करने हेतु ₹1,00,000/– मात्र की धनराशि निर्धारित की गयी है। जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 11 – बजट सम्बन्धी बिन्दुओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :–

(i) उत्तराखण्ड जैव विवधिता बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2015–16 के मदवार आय–व्यय के विवरण पर बोर्ड द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–

क्र.सं.	मद	आय का विवरण / स्रोत	व्यय की धनराशि (₹)
		1. वन विभाग, उत्तराखण्ड – ₹ 75,00,000.00 2. NBA, Chennai (Wages) – ₹ 8,16,000.00 3. NBA, Chennai (BMC) – ₹ 60,00,000.00 4. NBA, Chennai (PBR) – ₹ 49,50,000.00 5. NBA, Chennai (IBD) – ₹ 5,00,000.00 6. G.B.Pant Institute, Almora (PBR, BCP)– ₹ 23,46,000.00 7. Security Amount of Shri Mahipal – ₹ 15,324.00 ngh Sajwan 8. UNDP – ₹ 7,50,000.00 e Biodiversity Action Plan (SBAP) को National Biodiversity Action Plan (NBAP) व इसमें निर्धारित 12 National Targets के अर्न्तगत Pilot Project हेतु Submission of Inception Report and a work plan के लिये प्राप्त प्रथम किश्त (50%))	
1	मजदूरी संविदा / आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त सेवायें टैक्निकल एसोसिएट (फ्लोरल बायोडाईवर्सिटी), टैक्निकल एसोसिएट (डाटाबेस मेनेजमेंट), कम्प्यूटर ऑपरेटर, मशीन मैन, डाक रनर, चौकीदार, अर्दली, खलासी, कार्यालय सेवक, वाहन चालक, स्वीपर (पार्ट टाईम) एवं माली (पार्ट टाईम)		22,90,757.00
2	यात्रा व्यय		2,55,272.00
3	मानदेय		25,562.00
4	विद्युत व्यय		47,867.00
5	जलकर		5,460.00
6	टेलीफोन व्यय		1,24,324.00
7	लेखन सामग्री		97,584.00
8	कार्यालय व्यय		91,126.00
9	कार्यालय फर्नीचर		4,200.00
10	मोटर गाड़ियों की अनुरक्षण, पैट्रोल व खरीद		3,59,098.00
11	किराया उपशुल्क कर		4,44,000.00
12	प्रकाशन		1,59,969.00
13	आतिथ्य व्यय		24,294.00
14	मशीन सज्जा और संयंत्र		64,895.00
15	कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्तसंबंधी स्टेशनरी का क्रय		83,129.00
16	व्यवसायिक सेवायें		4,81,739.00
17	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय		89,740.00
18	अन्य व्यय		6,49,126.00
19	प्रशिक्षण व्यय / कार्यशाला		1,89,425.00
20	पुस्तकालय व्यय		42,221.00
21	पी.बी.आर. निरूपण		24,00,000.00
	योग–	₹ 2,28,77,324.00	₹ 79,29,788.00

1	लोक जैव विविधता पंजिका बनाने एवं ऑपरेशनल व्यय हेतु	**कैम्पा फण्ड से वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि– ₹ 1,45,000.00**	3,700.00
2	राखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा विभिन्न ऐसे उपक्रमों/निगमित निकायों/संगठनों/संस्थाओं जो जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग, जैव संरक्षण और जैविक उपयोग करते हैं/कर रहे हैं से जैव विविधता अधिनियम, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त फीस	**राज्य जैव विविधता निधि फण्ड से वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि– ₹ 11,93,098.00**	–
	महयोग–	**₹ 2,42,15,422.00**	**₹79,33,488.00**

(ii) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2015–16 लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु नामित श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रेषित वित्तीय वर्ष 2015–16 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एंव निम्न प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

<u>वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय का सारांश</u>

Account Name	Income	Expenditure
Board Fund Account	2,28,77,324.00	79,29,788.00
Campa Account	1,45,000.00	3,700.00
State Biodiversity Nidhi Fund	11,93,098.00	-
Total-	**2,42,15,422.00**	**79,33,488.00**

(iii) बोर्ड की बैलेंस सीट एवं लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2015–16 से आगामी 03 वर्ष हेतु ₹12,000/– प्रतिवर्ष का भुगतान करने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(iv) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(v) उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की लेखा की बैंलैस सीट तैयार करने व लेखापरीक्षित (Audited) का कार्य करने हेतु श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, शॉप नं0 09, तुला पैलेस, आराघर, देहरादून अधिकृत है। उनके द्वारा बोर्ड की प्रत्येक वर्ष की तैयार की गई लेखा की बैंलैस सीट व लेखापरीक्षित (Audited) की रिपोर्ट महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित की जाती है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून ने अपने पत्रांक सामाजिक क्षे. /लेखापरीक्षा सूचना/2015–16/1515 दिनांक 19 फरवरी, 2016 द्वारा इस कार्यालय के वर्ष 2006–07 से 2014–15 के लेखापरीक्षा दिनांक 16 मार्च, 2016 से 08 अप्रैल, 2016 करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। महालेखाकार द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय के लेखे का लेखापरीक्षा कार्य किया गया किन्तु उनके द्वारा अन्तिम चरण में सूचित किया गया कि इस कार्यालय का लेखा की बैंलैस सीट तैयार करने व

लेखापरीक्षित (Audited) का कार्य श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, शॉप नं0 09, तुला पैलेस, आराघर, देहरादून द्वारा किया जाता है, जो कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून से भी अधिकृत हैं। इस प्रकार किसी भी लेखे का दो बार लेखापरीक्षित (Audited) नहीं किया जा सकता है। साथ ही उनके द्वारा अन्य राज्य जैव विविधता बोर्ड से दूरभाष पर लेखा की बैंलस सीट एंव लेखापरीक्षित करने की प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त की गई कि अन्य राज्यों में भी चार्टेड एकाउण्टेन्ट के माध्यम से लेखे की बैलेंस सीट व लेखापरीक्षित की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात उनके द्वारा इस कार्यालय का लेखापरीक्षित (Audited) नहीं किया गया। इसी क्रम में कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून ने अपने पत्र संख्याः 752/84/2009–10 दिनांक 02 अगस्त, 2016 द्वारा सूचित किया है कि विभागीय सचिव के माध्यम से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड को निर्धारित प्रपत्र में औपचारिक अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर entrustment of the audit balance sheet किया जाता है जो कि 05 वर्ष के लिये होता है। चूंकि उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के लेखा की बैलेंस सीट तैयार कर लेखापरीक्षित की कार्यवाही महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड से अधिकृत श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउण्टेन्ट, देहरादून से किया जाता रहा है। देश के अन्य राज्य जैव विविधता बोर्ड के बैलेंस सीट व लेखापरीक्षित की पद्धति के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि अन्य राज्य जैव विविधता बोर्ड के बैलेंस सीट व लेखापरीक्षित की कार्यवाही चार्टेड एकाउण्टेन्ट के माध्यम से सम्पन्न की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अपनाई गयी पद्धति के साथ एकरूपता रखते हुये उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के लेखा की बैलेंस सीट व लेखापरीक्षित की कार्यवाही चार्टेड एकाउण्टेन्ट के माध्यम से किया जाना उचित है तद्नुसार महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांकः 477/जै०वि०बो०–3–1(लेखा) दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 द्वारा सूचित किया गया है। जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(v) **वित्तीय वर्ष 2017–18 के मदवार प्रस्तावित बजट का बोर्ड द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–**

क्र०सं०	मानक मद	याचित धनराशि (रूपये में)
1	मजदूरी	46,00,000.00
2	यात्रा भत्ता	400.00
3	अवकाश यात्रा सुविधा	250.00
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	150.00
5	लोक जैव विविधता पंजिका बनाना (पी.बी.आर.)	3000.00
6	मानदेय	100.00
7	विद्युत देय	80.00
8	जलकर	10.00

9	टेलीफोन	200.00
10	लेखन सामग्री	100.00
11	कार्यालय व्यय	200.00
12	कार्यालय फर्नीचर	100.00
13	मोटर गाडियों का अनुरक्षण	600.00
14	किराया उपशुल्क	500.00
15	प्रकाशन	800.00
16	आतिथ्य व्यय	100.00
17	मशीन साज–सज्जा और सयंत्र	100.00
18	कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200.00
19	व्यवसायिक सेवायें	200.00
20	बी०एम०सी० गठन	2000.00
21	बायोरिसोर्स के वाणिज्यिक उपयोग का अध्ययन	100.00
22	पारंपरिक ज्ञान एवं अभिलेखीकरण	100.00
23	बी०एच०एस०	500.00
24	प्रचार–प्रसार	100.00
25	पुस्तकालय व्यय	100.00
26	प्रशिक्षण व कार्यशाला / सेमिनार	2000.00
27	संतान शिक्षा भत्ता योजना शुल्क	40.00
28	बायोफिन	2000.00
29	अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (IBD)	500.00
30	आयकर	50.00
31	अन्य व्यय	620.00
	योग	19800.00
	(एक करोड अठ्ठानब्बे लाख) मात्र	

क्रम संख्या 1 पर बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मानक मद ***'मजदूरी'*** के स्थान पर ***'व्यवसायिक सेवायें'*** के नाम से उल्लेखित किया जाए। जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 12 – **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून द्वारा प्रकाशित एवं डा० राकेश शाह, भा०व०से० द्वारा लिखित पुस्तकों का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।**

डा० राकेश शाह, भा०व०से० द्वारा लिखित एवं उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गयी पुस्तकों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) **"Edible Plants of North West Himalaya (Uttarakhand)"** पुस्तक की 300 प्रतियां प्रकाशन करने पर ₹1,60,000/– मात्र का व्यय हुआ है। उक्त पुस्तक की Cost of Botanical Editing, General Editing & Proof Reading & bibliography Formating with Photographs identification के लिये ₹60,500/– मात्र के अतिरिक्त व्यय के स्थान पर 50 प्रतियां प्रकाशित करने वाली फर्म को दी गयी हैं। उक्त

पुस्तक को बोर्ड द्वारा विक्रय करने पर पुस्तक का मूल्य ₹1,200/– मात्र निर्धारित किया गया है।

(ii) **"Vegetative Dyes and Tannins of Uttarakhand Himalaya"** पुस्तक की 200 प्रतियां प्रकाशन करने पर ₹67,850/– मात्र का व्यय हुआ है। उक्त पुस्तक को बोर्ड द्वारा विक्रय करने पर पुस्तक का मूल्य ₹1,200/– मात्र निर्धारित किया गया है।

(iii) **"Ferns of Uttarakhand"** पुस्तक की 200 प्रतियां प्रकाशन करने पर ₹78,758/– मात्र का व्यय हुआ है। उक्त पुस्तक को बोर्ड द्वारा विक्रय करने पर पुस्तक का मूल्य ₹1,500/– मात्र निर्धारित किया गया है।

डा० राकेश शाह उक्त लिखित पुस्तकों के प्रकाशन के फलस्वरूप कोई रॉयल्टी नहीं चाहते हैं।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के उक्त प्रकाशनों हेतु भरपूर प्रशंसा की गयी तथा उक्त बिन्दु i से iii का अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 13 – माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT), नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से प्रतिशपथपत्र दायर करने पर अधिवक्ता की फीस भुगतान करने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

(i) एप्लीकेशन संख्याः 276 ऑफ 2015 माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT), नई दिल्ली (श्री जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में वाद दाखिल करने एवं सुनवाई के दौरान उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से श्री सौरभ शर्मा, एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित होने की फीस ₹5,500/- की दर से कुल ₹27,500/– मात्र का भुगतान किया गया।

(ii) रिट पिटिशन संख्याः 1425 ऑफ 2016 मैसर्स विश्वनाथ पेपर मिल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने की फीस ₹70,000/– मात्र का भुगतान श्री मनोज तिवारी, सीनियर एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल को किया गया।

(iii) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर ओ०ए० नं० 432/2015 (अश्विनी कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को Respondent No. 56 बनाया गया जिसके Reply हेतु पैरावाईस नरैटिव बनाकर उत्तराखण्ड शासन की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु नामित एडवोकेट ऑन रिकार्ड श्रीमती डी० भारती रैड्डी को ₹30,000/– मात्र की फीस का भुगतान किया गया।

(iv) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No. 347/2016 (Chandra Bal Singh Vs. UOI & Ors.) में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने की फीस ₹20,000/– मात्र का भुगतान एडवोकेट ऑन रिकार्ड श्रीमती डी० भारती रैड्डी को किया गया।

(v) रिट पिटिशन संख्याः 3437 ऑफ 2016 मैसर्स दिव्या फार्मासी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

नैनीताल में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने की फीस ₹1,00,000/– मात्र का भुगतान श्री मनोज तिवारी, सीनियर एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल को किया गया।

उक्त बिन्दु i से v का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 14 – जैव विविधता प्रबन्ध समिति, दुधई में औषधीय वृक्षारोपण/नवग्रह वाटिका की स्थापना का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति, दुधई विकाखण्ड सहसपुर, देहरादून की ग्राम समाज की भूमि पर औषधीय वृक्षारोपण/नवग्रह वाटिका की स्थापना करने हेतु ₹1.00 लाख (एक लाख) मात्र की धनराशि सहयोग के रूप में दी गयी है जिसका भुगतान ए०बी०एस० से प्राप्त फीस से किया गया है। उपनिदेशक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बी.एम.सी. दुधई की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्तर का अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 15 – जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 तथा 24 के अनुक्रम में जैव संसाधन तक पहुॅच एवं लाभ के सहभाजन (Access and Benefit Sharing) सम्बंधी की गयी कार्यवाही पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 में जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले 162 विभिन्न संस्थानों/उद्योगों को नोटिस निर्गत किया गया है तथा अब तक कुल 631 विभिन्न संस्थानों/उद्योगों को नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं।

(ii) मार्च 2017 तक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से जैव संसाधनों की फीस के रूप में ₹11,71,000/– मात्र एवं उनके वाणिज्यिक उपयोग के एवज में ₹95,42,825/– मात्र कुल ₹1,07,13,825/– मात्र प्राप्त हुई है।

(iii) वर्ष 2016–2017 में विभिन्न उद्योगों से अनुबंध किया गया।

उपनिदेशक द्वारा जैव संसाधन तक पहुॅच एवं लाभ के सहभाजन (Access and Benefit Sharing) के सम्बंध में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। बोर्ड द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

एजेंण्डा नं0 16 – विशेषज्ञ समितियों के गठन करने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून द्वारा विभिन्न प्रकार की जैव विविधता को संरक्षित करने एवं उनका विकास करने हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन निम्न प्रकार किया गया है:–

(i) Wild Floral Biodiversity

(ii) Wild Faunal Biodiversity

(iii) Agro Biodiversity, Animal Husbandry and Horticulture

(iv) Expert Advisory Committee for Rare and Threatened Species

(v) Research Advisory Committee

(vi) Legal Expert Committee

उक्त छः विशेषज्ञ समितियों के अतिरिक्त ABS Committee का गठन भी निकट भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त विशेषज्ञ समितियों के गठन का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। डॉ0 जी.एस.रावत, डीन, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाव दिया गया कि Expert Advisory Committee for Rare and Threatened Species मे समिति के अध्यक्ष के साथ उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि को सदस्य–सचिव नामित किया जाए ताकि सूचनाओं के आदान–प्रदान में सुविधा हो सकें।

एजेंण्डा नं0 17 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. विभिन्न उच्च शैक्षिणक संस्थाओं को अपने छात्रों को बोर्ड के दायित्वों से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु Internship पर भेजे जाने हेतु पत्र लिखा जाए।
2. बोर्ड के सदस्यो हेतु किसी निकटस्थ जैव विविधता प्रबन्ध समिति का फील्ड भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
3. लोक जैव विविधता पंजिका के साथ बनाये जा रहे जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख में पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित किया जा रहा है इस पर बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्री–विभागाध्यक्ष Anthropological Survey of India द्वारा पारंपरिक ज्ञान के Documentation में सहयोग देने हेतु आश्वासन दिया गया।
4. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जन–सामान्य को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषा में Theme based Newsletter प्रकाशित किया जाए। जिसमें विभिन्न सम्बन्धित विभागों को सहयोग हेतु लिखा जाए। डॉ0 सुरेश राम, उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया रानीखेत द्वारा उक्त Newsletter की Editing करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
5. सभी सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर आयोजित की जा रही बैठक, कार्यशाला व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि बोर्ड के सभी सदस्यों को जानकारी हेतु उपलब्ध कराई जाए।

उक्त बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अनुमोदित

(डा0 राकेश शाह)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून।

(एस०एस० रसाईली)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून।